न्यायालय – सिविल जज जू0 डि0 छाता मथुरा ।
मूलवाद संख्या –285 सन 2017
केशवदेव बनाम उ0 प्र0 राज्य

20.04.2019

पत्रावली पेश हुई । पक्षकार मय विद्धान अधिवक्ता उपस्थित ।
पत्रावली प्रार्थना पत्र 235 क की सुनवाई हेतु नियत है। प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 235क मय शपथ पत्र 236ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है, कि प्रार्थना पत्र 210क वावत वारिस कायमी में जानकारी के अभाव में तथा टाईप की त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यू का दिनांक 17.07.2014 के स्थान पर 16.07.2014 टाईप हो गया है तथा प्रस्तावित वारिस 9/1 का नाम सोना के स्थान पर कुन्टी हो गया है जिनको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वारिस कायमी प्रार्थना पत्र में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 235क पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, वादी के द्वारा वारिस कायमी प्रार्थनापत्र 210क न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यू का दिनांक 17.07.2014 के स्थान पर दिनांक 16.07.2014 एवं प्रस्तावित वारिस 9/1 का नाम सोना के स्थान पर कुन्टी हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। वादी के द्वारा जो संशोधन चाहा गया है वह एक मात्र टाईपिंग की सहवन त्रुटि है। चूंकि यह परीक्षणीय न्यायालय और यहां पर प्रत्येक पक्ष को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है, प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः वाद की बहुलता को रोकने के लिये प्रस्तावित संशोधन का समायोजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद के उचित निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 235क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 235क 100/रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी प्रार्थना पत्र 210क में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 210क दिनांक 08.05.2019 को पेश हो । टी.आई. नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज (जू0 डि0),
छाता–मथुरा।